	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
22.04.2022	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा पं. 16 पीएस में पेश हुई। शिविर में रिपोर्ट उपतहसीलदार मुकलावा क्रमांक/भू.अ/22/1836 दिनांक 22.04.2022 पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 14 टीके तहसील रायसिंहनगर के खाता सं 41 मु.न. 52 प.न. 151/295 के मु.न. 52 के कि.न. 15 में 0.063, मु.नं. 61 प.न. 145/296 के कि.न. 1 में 0.051है व मु.न. 79 प.नं. 152/298 के कि.नं. 1 में 0.177है व कि.नं. 10 में 0.013है तीनों मुरब्बाजात में कुल 0.304है. नहरी भूमि में 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है शेष हिस्सा भाई कानाराम व पृथ्वीराज पुत्र मथुराराम के नाम से दर्ज है विरासतन इंतकाल दर्ज होते समय सहवन गलती से कृष्णलाल की जगह पारिवारिक बिशनाराम दर्ज हो गया। प्रार्थी का सही नाम दस्तावेजों में कृष्णलाल पुत्र मथुराराम है। चक 6 एमके बी के खाता सं. 10 मु.नं. 49 प.नं. 152/295 के कि.न. 7/2 ता 15 कुल 1.729है. नहरी भूमि आवेदक के नाम दर्ज है विरास्तन इंतकाल दर्ज होते समय सहवन से कृष्णलाल की जगह किशनाराम दर्ज हो गया हैं। जिसकी दुरूस्ती की जानी उचित हैं। अतः चक 14 टीके खाता सं. 41 के मु.नं. 52,61 व 79 की कुल 0.304है. नहरी भूमि व चक 6 एमकेबी खाता सं. 10 के मु.नं. 49 की 1.729है. भूमि के खातेदार के नाम को बिशनाराम व किशनाराम को दुरूस्त कर आवेदक का सही नाम कृष्णलाल पुत्र मथुराराम दुरूस्त करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। उपतहसीलदार मुकलावा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार शिविर 16 पीएस में मजमे आम में जांच की गयी। मौजूद व्यक्तियों ने सही नाम कृष्णलाल पुत्र मथरादास होना बतलाया गया। मजमा आम की जांच रिपोर्ट अनुसार चक 14 टीके के खाता सं. 41 व चक 6 एमकेबी के खाता सं. 10 में सही नाम कृष्णलाल पुत्र मथराराम किया जाना उचित हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उसके निजी पहचान के दस्तावेजों में नाम कृष्णलाल पुत्र मथराराम दर्ज हैं। प्रार्थी के नाम की चक 6 एमके बी के खाता सं. 10 की भूमि में नाम किशनाराम पुत्र मथराराम दर्ज हैं। जिसकी दुरूस्ती 136 एलआरए के तहत किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। परन्तु चक 14 टीके के खाता सं. 41 में दर्ज नाम बिशनाराम के स्थान पर कृष्णलाल की दुरूस्ती करने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ना ही प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हैं। अतः रिपार्ट उपतहसीलदार मुकलावा की अनुशंषा के आधार पर दुरूस्ती की जानी उचित प्रतीत होती हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर चक 6 एमकेबी के खाता सं. 10 के खातेदार किशनाराम पुत्र मथराराम की दुरूस्ती कर उसके स्थान पर कृष्णलाल उर्फ किशनाराम पुत्र मथराराम दर्ज करने [illegible] तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंश यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंह[illegible] जावे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.04.2022 को लिखाया जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.06.01 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested